

बाडमेर का पुनः नामकरण  
आई.नं. 04.07.25 को पेश है।

*(Signature)*  
उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर

04/07/25

परीक्षा अर्थात् डिप्टी कमिश्नरियल  
ऑफिसर। तत्कालीन रिपोर्ट  
अनुसार ही बहल हुनी गई। पत्रावली  
व रिपोर्ट का निष्कर्ष कि  
तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार  
वाहल भूमि अति अति नहीं है।  
परीक्षा में नगर परिषद के नाम  
है ही नगर परिषद द्वारा पट्टे  
की जाती छिये जाये है।

निष्कर्ष वाहल भूमि अर्थात्  
की (अति) अति नहीं होने से  
अर्थात् का अर्थ नगर पोखरी  
नहीं है। अति नगर परिषद के नाम होने  
से अर्थात् नगर चलने योग्य नहीं है।  
अतः वाहल भूमि अति पर अति  
किपा जाता है। पत्रावली अर्थात् अति  
लेकी दाखला संख्या है।

*(Signature)*  
उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर